असैनिक : शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, राँची।

(जिला अस्पताल प्रबंधन, समिति, सदर अस्पताल, राँची।)
पुरूलिया रोड, राँची, पिन नं0 – 834001
E-mail ID – csofficeranchi@yahoo.com

पत्रांक : 5295 राँची, दिनांक 02 / 11 / 2026

बन्दोबस्ती की सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 26–27 एवं 27–28 के लिए एकरारनामा की तिथि से 12 (बारह) माह तक के लिए अधोहस्ताक्षरी के नियंत्रणाधीन सदर अस्पताल, राँची के परिसर में पड़ावों की बन्दोबस्ती खुली डाक के माध्यम से की जायेगी। कार्य संतोषजनक होने पर तीन माह या निविदा निस्तार होने तक अविध विस्तार कया जा सकता है। बन्दोबस्ती अधिकतम बोली गयी डाक के आधार पर होगी। इस बन्दोबस्ती में निबंधित संस्था / समिति / प्रतिष्ठान एवं अच्छे आचरण वाले व्यक्ति भाग ले सकते है। निविदा दिनांक 18.11.26 के अपराह्न 4.00 बजे तक आमंत्रित किया जाता है तथा निविदा दिनांक 19.11.2026 के अपराह्न 3.00 बजे समिति के समक्ष उपस्थापित किया जाएगा। निविदा हाथो–हाथ या निबंधित डाक द्वारा कार्यालय में समर्पित कर सकते हैं। निविदा से संबंधित शर्ते एवं अन्य की जानकारी कार्यालय के वेबसाईट **website www.sadarhospital.org** पर दिनांक 4.11.2026 से देखा जा सकता है। निविदा से संबंधित किसी प्रकार का परिवर्तन /शुद्वि पत्र www.sadarhospital.org पर ही देखा जा सकता है।

असैनिक शल्य चिकित्सक सह
मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, राँची।

पड़ाव की सूची, सुरक्षित राशि जमानत की राशि एवं डाक की तिथि निम्नवत् हैं।

क्र सं.	पडाव का विवरण	बन्दोबस्ती की सुरक्षित	जमानत राशि की (सुरक्षित राशि का 25 प्रतिशत)
1	सदर अस्पताल रॉची के परिसर में चिन्हित स्थल का विवरण – संलग्न। स्थल का निरीक्षण दिनांक 4.11.2026 से 18.11.26 तक किया जा सकता है। उपाधीक्षक, सदर अस्पताल रॉची से सम्पर्क करेंगे।	16,83,000.00	4,20,750.00 (By Bank D.D) बैक ड्राफ्ट District Hospital Management Society, Ranchi के नाम से होगा।
	उपरोक्त पड़ावों की बन्दोबस्ती हेतू निम्न प्रकार से तिथि निर्धारित की गई हैं :–		
1	निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि	18.11.2026 के अपराह्न 4.00 बजे तक।	
2	निविदा निष्पादन की तिथि	19.11.2026 के अपराह्न 3.00 बजे से सिविल सर्जन रॉची के कार्यालय कक्ष में (सदर अस्पताल, रॉची के परिसर लाल बिल्डिंग , प्रशासनिक भवन के प्रथम तल)।	
3	आवेदन प्रपत्र की मूल्य	1000.00 (एक हजार)	(By Bank D.D) बैक ड्राफ्ट District Hospital Management Society, Ranchi के नाम से होगा।

2-11-26 2/11/26 2-11-26

पड़ाव के लिए बन्दोबस्ती की शर्ते

01. बन्दोबस्ती की अवधि दिनांक कार्यादेश की तिथि से 12 माह के लिए होगा।
02. संबंधित पड़ाव आदि के सामने अंकित जमानत की राशि बैंक ड्राफ्ट द्वारा जिला अस्पताल प्रबंधन समिति, राँची के नाम से निविदा के साथ संलग्नन करना अनिवार्य होगा।
03. निविदा/बन्दोबस्ती प्रक्रिया के निष्पादनोपरान्त सर्वप्रथत संबंधित सफल निविदादाता को आवंटन संबंधी L.O.A. निर्गत किया जायेगा।
04. इसके पश्चात् नियमानुसार असफल निविदादाता की जमानत राशि (बैंक ड्राफ्ट मूल रूप में) उनसे अनुरोध प्राप्त होने पर लौटायी जायेगी।
05. पार्किंग, बाजार/हाट बन्दोबस्ती के मामले में डाक का निष्पादनोपरान्त डाक बोली की राशि निम्न प्रकार से जमा की जायेगी।

क्रमांक	राशि	निर्धारित समय
01	10 लाख रू0 तक	100% 48 घंटे के अन्दर
02	10 लाख रू0 के उपर	70% राशि 48 घंटे के अन्दर एवं शेष 30% राशि वित्तीय तीन माह के अन्दर।

नोट : राशि का भुगतान Demand Draft माध्यम से करना होगा।

06. बन्दोबस्त राशि के विरूद्व निर्धारित GST एवं TDS की अतिरिक्त राशि जमा करना होगा। जिसकी सारी जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की होगी। इसमे किसी प्रकार की अनियमितता के लिए ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगें
07. L.O.A. निर्गत होने की तिथि से 02 (दो) दिनों के अन्दर एकरारनामा करना होगा। यदि परिस्थिति जन्य, इसमें अवधि विस्तारित करने की आवश्यकता होगी, जो इसके लियें अधोहस्ताक्षरी से विशेष आदेश प्राप्त करने के उपरान्त की एकरारनामा कियें जायेंगे।
08. एकरारनामा का निबंधन अपने खर्च पर करवाना होगा। एकरारनामा निबंधन के पश्चात् ही महसूल वसूली के लिये प्राधिकार पत्र निर्गत किया जायेगा।
09. निर्धारित शर्त के उल्लघंन या बिना किसी वैध कारण के राशि जमा करने में विलम्ब करने के लिए एकरारनामा रद्द कर दिया जाएगा एवं अन्य **विपरीत परिस्थिति यथा – विधि व्यवस्था या जनहित के मुद्दे पर तत्काल प्रभाव से एकरारनामा रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।**
10. द्वितीय किस्त वसूली के लियें कोई भी नोटिस अलग से कार्यालय द्वारा निर्गत नहीं किया जाएगा, बल्कि शर्त में जो तिथि निर्धारित की गई हैं, उस तिथि का अनुपालन करना संबंधित बन्दोबस्तधारी की जिम्मेवारी होगी।
11. महसूल (टोल टैक्स) वसूली निम्नांकित दर पर करना होगा एवं निर्धारित दर के अनुसार संबंधित व्यक्तियों को प्राप्ति रसीद उपलब्ध कराना होगा। एतद् संबंधी सूचना पट्ट पड़ाव स्थल पर प्रतिष्ठानों/संस्थानों/व्यक्तियों को अपने खर्च से लगाना होगा।
12. 20 मिनट की अवधि प्रतिक्षा अवधि मानी जायेगी एवं इसके लिये पार्किंग शुल्क देय नहीं होगा।
13. पड़ाव स्थल से दुकानों या भेण्डर से महसूल वसूली का अधिकार अधोहस्ताक्षरी का होगा।
14. Performance Security के रूप में 25000/– रू0 जमा करना होगा।
15. पड़ाव स्थल से अवैध Vendor (यथा : ठेला, खोमचा, गुमटी आदि) पाये जाने पर प्रत्येक दिन के लिए 2000/–रू0 अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा एवं यह राशि जमा की गई Performance Security की राशि से समायोजित कर ली जायेगी। Performance Security की राशि समाप्त होने पर राशि पुनः जमा

2-11-26 2/11/26 2-11-26

करनी होगी। एकरारनामा की अवधि समाप्ति के पश्चात् इस मद में शेष राशि संवेदक का वापस कर दी जायेगी।

16. आवेदन पत्र के साथ **जमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट**/चल–अचल संपति का ब्यौरा **(शपथ पत्र के माध्यम से)/ राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज का दो फोटो/जिला प्रशासन या सक्षम पदाधिकारी से निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र** एवं **सक्षम पदाधिकारी से निगर्त निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की प्रति** एवं **आयकर विभाग से निर्गत PAN. NO. ,& GST No.** की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
17. पड़ाव स्थल से वाहनों की चोरी एवं क्षतिग्रस्त होने पर अधोहस्ताक्षरी की जिम्मेवारी नहीं होगी। उसकी सम्पूर्ण जिम्वारी बन्दोबस्तधारी की होगी।
18. किसी भी निविदा का बगैर कोई कारण बताये आंशिक या पूर्ण से रद्द करने का अधिकार अथवा Negotiation करने का अधिकार निविदा समिति को सुरक्षित होगा।

नोट : मुहरबन्द लिफाफा निविदा समिति एवं निविदाताओं/निवविदाता द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति की उपस्थित में खोली जायेगी एवं आवेदक के द्वारा अधिकृत व्यक्ति ही डाक में भाग ले सकतें हैं। यदि निविदा खोलने के समय उनके प्रतिनिधि भाग नहीं लेते हैं तो निविदा की कार्यवाई बाधित नहीं होगी।

असैनिक शल्य चिकित्सक सह
मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, राँची।

पार्किंग से संबधित स्थल एवं अन्य आवश्यक शर्ते –

S.N	Area Provided	LOCATION	S.Q	TOTAL AREA	REMARKS
1	A	Gate no 01 left side	130 X 22	2860 ft.	
2	B	Gate No 01 UGT area	85 X 20	1700 ft.	
3	C	Opposite Gate No 01			Proposed Parking
4	D	Gate no 02 left side	80 X 22	1760 ft.	
5	E	Opposite Temple	50 X 9	450 ft.	2 Wheeler Parking
6	F	Temple side	50 X 14	700 ft.	
7	G	Gate no 03 Right Side			Proposed Parking
8	H	Oxygen Plant Right Side			Proposed Parking
			TOTAL AREA	7,470 ft.	

इंडोर मरीजों के परिजनों के वाहन से प्रत्येक दिन सिर्फ एक बार पार्किंग शुल्क लिया जाय।

1. चयनित एजेंसी को जो स्थल आवंटित किया जा रहा है उसका बैरिकेटिंग चयनित एजेंसी के द्वारा किया जाएगा।

2.11.26 2/11/26 2-11-26

2. चयनित एजेंसी के द्वारा किसी भी परिस्थिति में पार्किंग हेतु चयनित स्थल के बाहर, PCC पथ एंव नो पर्किंग स्थल में वाहन पार्किंग करवाने की अनुमति नहीं रहेगी, अगर एजेंसी के द्वारा ऐसा किया जाएगा तो उसपर विधि सम्मत कार्रवाई (आर्थिक दंड सहित) की जाएगी।
3. चयनित एजेंसी के द्वारा किसी भी परिस्थिति में सड़क पर वाहन लगवाने की अनुमति नहीं दी जाएगी ताकि एम्बुलेंस एंव अन्य सरकारी वाहन सुगमतापूर्वक आवगमन कर सके।
4. चिन्हित प्रवेश एंव निकास द्वार को 24X7 पूर्णतः खाली एंव बाधारहित रखना एंव एजेंसी द्वारा गार्ड को नियुक्त करना अनिवार्य होगा।
5. चयनित एजेंसी के द्वारा चिन्हित वाहन पड़ाव भर जाने पर 'Parking Full' का बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा।
6. चयनित एजेंसी के द्वारा पार्किंग गार्ड उपलब्ध कराया जाएगा एंव उनके कर्मचारी ड्रेस कोड एंव परिचय पत्र के साथ ड्युटी करना सुनिश्चित करेंगे।
7. चयनित एजेंसी के द्वारा उनके सभी पार्किंग गार्ड का आधार कार्ड एंव चरित्र प्रमाण पत्र (पुलिस विभाग द्वारा निर्गत) कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
8. सदर अस्पताल, राँची में अवस्थित ऑक्सीजन प्लांट के दाई तरफ, गेट नं0 03 के दायी तरफ एंव गेट नं0 01 के सामने नई पार्किंग स्थल चिन्हित कर अग्रेतर कारवाई की जा सकती है।
9. सदर अस्पताल, राँची के चिकित्सक, पारा मेडिकल कर्मी एंव अन्य सभी कर्मियों के लिए चिन्हित पार्किंग स्थल का सिमांकन किया जाय।

पार्किंग स्थल का नक्सा – संलग्न।

पार्किंग दर निम्नवत् होगी :–

TYPE OF VEHICLES	Per three hours
All Type Three FOUR WHEELER/	30
Two Wheeler	10

(a) सदर अस्पताल, रॉची, प्रशासनिक कार्यालय, सदर अस्पताल, रॉची के भेन्डर , अन्य कार्यालय के पदाधिकारियों के लिए पार्किंग चार्ज – निशुल्क ।

(b) इंडोर मरीजों के परिजनों के वाहन से प्रत्येक दिन सिर्फ एक बार पार्किंग शुल्क लिया जाएगा।

(c)चयनित एजेंसी के द्वारा किसी भी परिस्थिति में पार्किंग हेतु चयनित स्थल के बाहर, PCC पथ एंव नो पर्किंग स्थल में वाहन पार्किंग करवाने की अनुमति नहीं

2-11-26 2-11-26

रहेगी, अगर एजेंसी के द्वारा ऐसा किया जाएगा तो उसपर निम्न प्रकार से आर्थिक दंड के रूप लिया जाएगा।

(1) **प्रथम बार में 10000.00 (दस हजार) रू. का दंड।**
(2) **द्वितीय बार में 25000.00 (पचीस हजार) रू का दंड।**
(3) **तृतीय बार में 50000.00 (पचास हजार) रू का दंड।**
(4) **चतुर्थ बार में निविदा निरस्त करने की कार्रवाही।**

2/11/26

असैनिक शल्य चिकित्सक सह
मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, राँची।

2-11-26 2/11/26 2-11-26
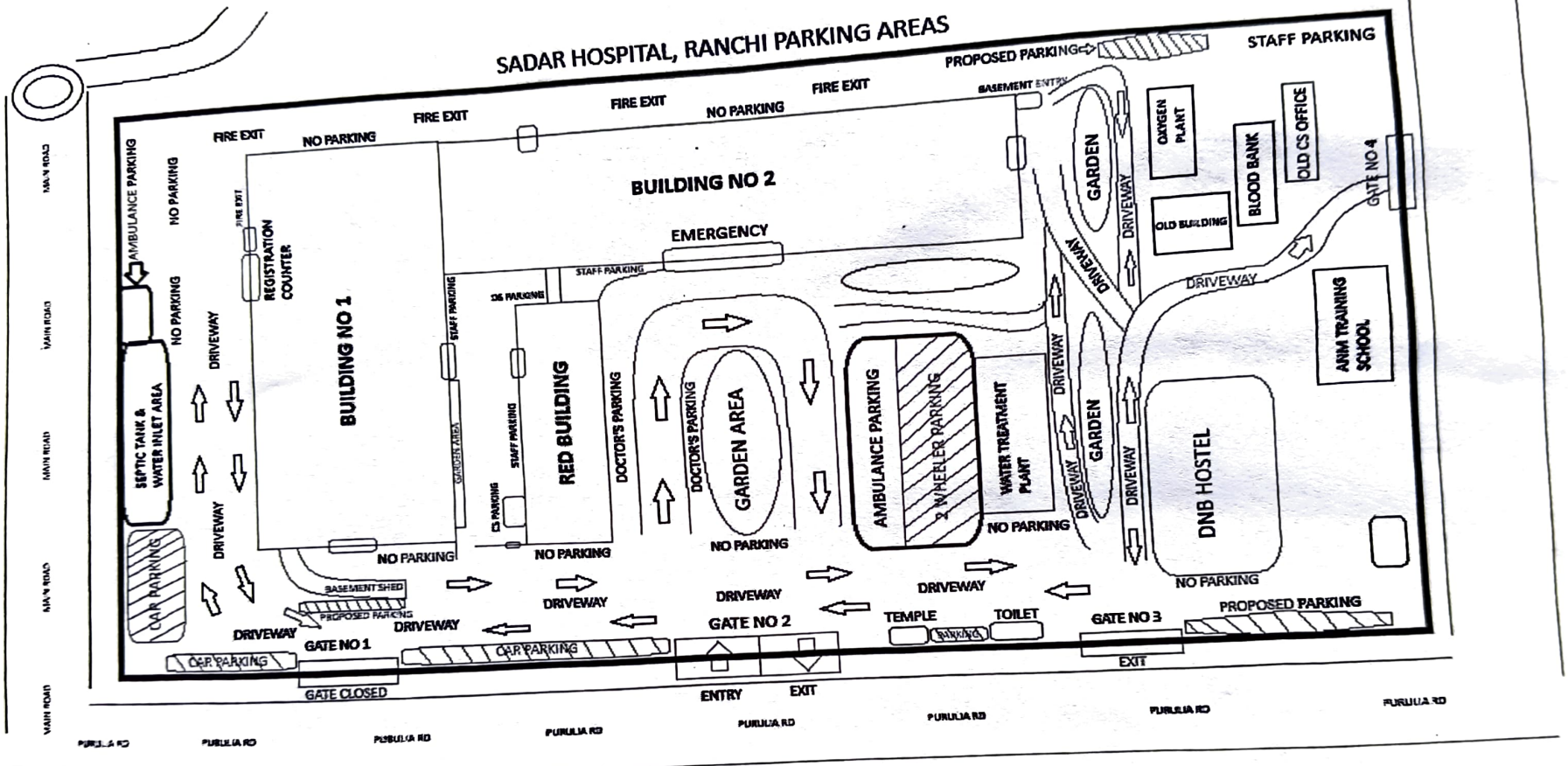
SADAR HOSPITAL, RANCHI PARKING AREAS